कार्यालय नगर पंचायत रेवती, बलिया

पत्रांकः 80(५)/न0पं0रे0 / वर्ष 2013–14 दिनांकः 07 फरवरी 2014

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत रेवती, बलिया में सफाई एवं अन्य कार्य हेतु कर्मियों की आपूर्ति हेतु इच्छुक पंजीकृत सप्लायर/ठेकेदारों तथा समूहों से दिनांकः 18–02–2014 को अपरान्ह 12 बजे तक कोटेशन/निविदा नगर पंचायत कार्यालय रेवती मे रखे निविदा बाक्स में आमंत्रित किया जाता है। जो उक्त दिनांक को ही अपरान्ह 1.00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित ठेकेदारों/कोटेशन दाताओं के समक्ष खोला जायेगा। यह निविदा जिले की बेवसाइट **www.ballia.nic.in** पर उपलब्ध है।

आपूर्ति किये जाने वाले कार्मिकों का विवरण

क्रमांक	कार्मिक का नाम	संख्या	निविदा फार्म का मूल्य	जमानत धनराशि
1	2	3	4	5
1	कार्यालय सहायक	1	500.00	10,000.00
2	कम्प्यूटर आपरेटर	1		
3	जनरेटर चालक आपरेटर	1		
4	टैक्ट्रर ड्राईवर	1		
5	विद्युत लाईन मैन/मिस्त्री	1		
6	विद्युत हेल्पर	2		
7	कार्यालय चौकीदार	1		
8	सफाई कार्मिक	12		

नियम व शर्ते

1. कार्मिको के आपूर्ति एवं निविदा सम्बन्धी किसी भी अन्य जानकारी हेतु कार्यालय दिवस में निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व तक सम्पर्क स्थापित कर किया जा सकता है।
2. नगर पचायत रेवती सेवा प्रदाता व्यक्ति/समूहों को मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक धनराशि का भुगतान करेगी।
3. सेवा प्रदाता के लिए अनिवार्य है कि कार्यादेश जारी होने के पूर्व आपूर्ति किए जाने वाले कर्मियों/श्रमिकों के समस्त बायोडाटा पहचान पत्र (फोटो सहित) उपलब्ध करायें।
4. कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर कर्मियों/श्रर्मिकों की आपूर्ति करनी होगी।
5. शासन द्वारा निर्धारित दर से कम मानदेय श्रमिकों/कार्मिकों को देय नही होगा।
6. अधोहस्ताक्षरी कर्ता के अनुमति के पश्चात ही कार्यादेश जारी की जायेगी।
7. सेवा प्रदाता का आपूर्ति किये गये श्रमिकों को कार्य के दौरान निरीक्षण में अनुपस्थिति पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल से अर्थ दण्ड के रूप में कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
8. सेवा प्रदाता को श्रम विभाग से पंजीयन होने का पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. यह निविदा/आपूर्ति एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा।
10. धरोहर/जमानत धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ.डी.आर. जो अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक हो व नगद जमा रसीद द्वारा जमा कर निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(जनार्दन पाण्डेय)
अधिशासी अधिकारी
नगर पचायत रेवती
बलिया

J. Pandey
(जयश्री पाण्डेय)
अध्यक्ष
नगर पचायत रेवती
बलिया

क्रमशः.........2

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
2. प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय–बलिया
3. जिलासूचना अधिकारी, बलिया को इस आशय से प्रेषित की कृपया उपरोक्त सूचना का प्रकाशन किसी दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर प्रकाशित समाचार पत्र की अतिरिक्त एक प्रति के साथ बिल भुगतान हेतु कार्यालय नगर पचायत रेवती में भेजवाने का कष्ट करें।
4. निदेशक एन.आई.सी. विकास भवन, बलिया को बेवसाइट पर प्रकाशन हेतु।
5. कार्यालय नगर पंचायत रेवती के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

(जनार्दन पाण्डेय)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रेवती
बलिया